प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक – 18.11.2022

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा की अध्यक्षता में चित्रकला व निबन्ध प्रतियोगिता का किया गया आयोजन , जनपदीय विधालयों के बच्चों द्वारा प्रतिभाग कर यातायात जागरुकता का दिया गया संदेश

आज दिनांक 18.11.2022 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह की अध्यक्षता में राजकिय बलिका इण्टर कालेज महोबा में यातायात जागरुकता के सम्बन्ध में निबन्ध व चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें जनपदीय विधालयों के बच्चों द्वारा काफी संख्या में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया गया । यातायात पुलिस टीम द्वारा छात्र-छात्राओ को यातायात नियमों की जानकारी दी गयी व यातायात नियमो के पर्चे/पम्पलेट वितरित किये गये ।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा बच्चों को बताया गया कि पैदल चलने वाले सडक पर हमेशा बायी ओर चले, स्कूली बच्चे निर्धारित बस स्टॉप से ही चढ़े व उतरें उतरने के बाद दोनों तरफ देखकर सावधानी से आगे बढ़े, ओवर स्पीडिंग न करें, दोपहिया वाहन चालक एवं सवारी हेलमेट अवश्य पहनें । लोगों को यातायात के नियमों के बारे में जागरुक करने, वाहन को ओवर स्पीड से न चलाने के साथ नियमित रुप से हेलमेट पहनने व सीट बेल्ट के प्रयोग हेतु प्रेरित करने की अपील की गयी ।

थाना पनवाड़ी पुलिस टीम ने अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस सहित अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन पर तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर0के0 गौतम व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ के निकट पर्यवेक्षण में चलाये जा रहे वाछिंत/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के तहत आज दिनांक 18.11.2022 को थाना पनवाड़ी प्रभारी निरीक्षक श्री जयप्रकाश उपाध्याय द्वारा गठित टीम उ0नि0 रवि कुमार सिंह चौकी इंचार्ज नगाराघाट द्वारा देखभाल क्षेत्र व वांछित/वारण्टी की तलाश के दौरान मुखबिर की सूचना पर 01 नफर अभियुक्त बीरेन्द्र कुमार पुत्र बलबीर उम्र करीब 27 वर्ष निवासी ग्राम मसूदपुरा थाना पनवाड़ी जनपद महोबा को ग्राम गौनगुढ़ा से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 01 अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ । जिसके सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु.अ.सं. 236/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया तथा गिरफ्तार अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेशी उपरान्त जेल भेजा गया ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 रवि कुमार सिंह थाना पनवाड़ी जनपद महोबा ।
2. का0 विमल कुमार थाना पनवाड़ी जनपद महोबा ।

गिरफ्तार अभियुक्त-

बीरेन्द्र कुमार पुत्र बलबीर उम्र करीब 27 वर्ष ग्राम मसूदपुरा थाना पनवाड़ी महोबा

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक – 18.11.2022

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

थाना खरेला पुलिस टीम ने वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन पर तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर0के0 गौतम व क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री अजय कुमार अग्रवाल के निकट पर्यवेक्षण में चलाये जा रहे वाछिंत/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के तहत थानाध्यक्ष खरेला श्री गणेश कुमार द्वारा गठित टीम उ0नि0 अजय पाल सिंह द्वारा 01 नफर वारण्टी अभियुक्त केशर पुत्र नन्दराम राजपूत निवासी ग्राम बल्लांय थाना खरेला जनपद महोबा को सम्बन्धित मा0 न्यायालय द्वारा जारी केश नं. 401/18 धारा 60(1) (घ) आबकारी अधिनियम थाना खरेला जनपद महोबा के वारण्ट पर ग्राम बल्लांय से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त उपरोक्त को सम्बन्धित न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 अजयपाल सिंह

2.हो0गा0 सुरेश सिंह

गिरफ्तार अभियुक्त-

केशर पुत्र नन्दराम राजपूत निवासी ग्राम बल्लांय थाना खरेला जनपद महोबा

थाना चरखारी पुलिस टीम ने गैंगस्टर एक्ट के वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन पर तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर0के0 गौतम व क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री अजय कुमार अग्रवाल के निकट पर्यवेक्षण में चलाये जा रहे वाछिंत/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के तहत प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार शुक्ल मय हमराही का0 नितिन कुमार थाना चरखारी जनपद महोबा द्वारा अभियुक्त कप्तान सिंह उर्फ बलवन्त सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह उम्र करीब 23 वर्ष निवासी लहेरा पुरवा थाना नौगांव जनपद छतरपुर म.प्र. सम्बन्धित मु0अ0सं0 122/2022 धारा 3(1) गैंगस्टर अधि0 चालानी थाना श्रीनगर को पवा चौराहा से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त उपरोक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया किया जा रहा है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.प्रभारी निरीक्षक चरखारी श्री विनोद कुमार शुक्ल
2.का नितिन कुमार थाना चरखारी जनपद महोबा 0

गिरफ्तार अभियुक्त-

कप्तान सिंह उर्फ बलवन्त सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह उम्र करीब 23 वर्ष निवासी लहेरा पुरवा थाना नौगांव जनपद छतरपुर मध्य प्रदेश

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 18.11.2022

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

थाना श्रीनगर पुलिस टीम ने अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस के साथ अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन पर जनपद में अपराध की रोकथाम हेतु जनपदीय पुलिस टीम द्वारा चलाये जा रहे अवैध शस्त्र निर्माण व अवैध शस्त्र धारक अभियुक्तों के विरुद्ध गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में दिनांक 18.11.2022 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर0के0 गौतम व क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री अजय कुमार अग्रवाल के निकट पर्यवेक्षण में थाना श्रीनगर प्रभारी निरीक्षक श्री राधेश्याम वर्मा द्वारा गठित टीम उ0नि0 शिवस्वरूप सिंह द्वारा 01 नफर अभियुक्त लालू यादव पुत्र आशाराम यादव उम्र 19 वर्ष को ग्राम चितैया के पास से गिरफ्तार किया गया, अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद तमंचा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया। बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 211/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को मान0 न्यायालय के समक्ष पेशी उपरान्त जेल भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1 लालू यादव पुत्र आशाराम यादव उम्र 19 वर्ष निवासी ग्राम हतना थाना ओरछा जनपद छतरपुर म0प्र0

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 शिवस्वरूप सिंह
2.का0 जगवीर 3.का0 हरीओम

महोबा पुलिस

पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में जनपदीय पुलिस बल द्वारा जनपद में कानून एंव शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु पैदल गस्त कर आम-जनमानस को दिलाया गया सुरक्षा का भरोसा ।

आज दिनांक **18.11.2022** को पुलिस अधीक्षक महोबा सुधा सिंह के निर्देशन में जनपद में कानून एंव शांति व्यवस्था के दृष्टिगत आमजन से संवाद स्थापित कर कानून व शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु तथा अफवाहों पर ध्यान न देने हेतु की गयी अपील।

इसी क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा संवेदनशील स्थानों पर प्रभावी पैदल गस्त की गयी। स्थानीय लोगों से आपसी सौहार्द बनाए रखनें,अराजकता फैलाने वालों की सूचना पुलिस को देने की अपील की गयी तथा जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारियों द्वारा अपने-अपने सर्किल में तथा सभी थानाध्यक्षों द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्र के मुख्य बाजार, धार्मिक-स्थल, बस-स्टैण्ड,रेलवे स्टेशन ढाबा आदि जगहों पर पैदल गस्त करते हुए यातायात नियमों को उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करते हुए वाहनों के चालान व सीज करने की कार्यवाही की गई।

इसी क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा शराब की दुकानों का निरीक्षण किया गया एवं सेल्समैन को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।

यातायात नियमों के उल्लंघन करने पर **250** वाहनो के ई-चालान किये गये।

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक – 18.11.2022

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

महोबा पुलिस